रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 62] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 8, 2001/माघ 19, 1922

No. 62] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2001/MAGHA 19, 1922

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2001

सा.का.नि. 78 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 और धारा 36क, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2001 है।

(2) ये 13 दिसम्बर, 1989 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 के नियम 8 के उपनियम (2) में, 13 दिसम्बर, 1989 से प्रारंभ होकर 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए "चार हजार सात सौ सोलह रुपए प्रति वर्ष" शब्दों के स्थान पर "एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रति वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने, कर्नाटक सरकार की सिफारिशों पर, 13 दिसम्बर, 1989 से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन को पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है। तदनुसार, कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 का संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 13 दिसम्बर, 1989 से संशोधन किया जा रहा है। कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों की पेंशन 1 जनवरी, 1996 से 4716 रु. प्रति वर्ष की दर से पहले ही पुनरीक्षित कर दी गई है और तदनुसार, पूर्वोक्त नियमों का पहले ही 1 जनवरी, 1996 से और संशोधन किया गया है। इसलिए वर्तमान संशोधन के अनुसार पुनरीक्षण का प्रभाव 13 दिसम्बर, 1989 से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए सीमित होगा।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के किसी भी सदस्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. ए-11014/13/98-ए.टी.]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1092 (अ), तारीख 17 सितंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 424 (अ), तारीख 4-4-1988

(2) सा.का.नि. 1049 (अ), तारीख 13-12-1989

(3) सा.का.नि. 520 (अ), तारीख 13-11-1996

(4) सा.का.नि. 86 (अ), तारीख 3-2-2000

(5) सा.का.नि. 320 (अ), तारीख 6-4-2000

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2001

G.S.R. 78 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 35 and Section 36A of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1 (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 13th day of December, 1989.

2 In rule 8 of the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, in sub-rule (2), for the words, "rupees four thousand seven hundred and sixteen per annum" the words, "rupees one thousand four hundred and fifty per annum" shall be substituted for the period commencing from the 13th day of December, 1989 upto the 31st day of December, 1995.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government, on the recommendations of the Government of Karnataka has decided to revise the pension of Members of the Karnataka Administrative Tribunal with effect from the 13th day of December, 1989. Accordingly, the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 are being amended retrospectively that is, with effect from the 13th December, 1989. The pension of Members of Karnataka Administrative Tribunal has already been revised at the rate of Rs. 4716 per annum w.e.f 1st January, 1996 and accordingly, the aforesaid rules already stand further amended with effect from 1st January, 1996. Therefore, the effect of the revision as per the present amendment shall be limited to the period from 13th December, 1989 to 31st December, 1995.

2 It is certified that no Member of the Karnataka Administrative Tribunal is likely to be affected adversely by the proposed amendment being given retrospective effect.

[No A. 11014/13/98-AT]

R.K. TANDON, Jt. Secy.

Foot Note.—The principle rules were published in the Gazette of India vide notification No. G.S.R. 1092(E), dated the 17th September, 1986 and subsequently amended vide notifications Nos.—

(1) G.S.R. 424 (E), dated 4-4-1988.

(2) G.S.R. 1049 (E), dated 13-12-1989.

(3) G.S.R. 520 (E), dated 13-11-1996.

(4) G S.R. 86 (E), dated 3-2-2000

(5) G.S.R. 320 (E), dated 6-4-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.